"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 मई 2022 — वैशाख 14, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2022

क्रमांक 4607/डी. 51/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 26–04–2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2022)

छत्तीसगढ. भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2022

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत के गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, –

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (तीन) में, शब्द "फलोद्यान लगाना तथा उनका समारक्षण" के पूर्व, शब्द एवं चिन्ह "वाणिज्यिक वृक्षारोपण," अंतःस्थापित किया जायें।

(दो) उप–धारा (1) के खण्ड (न) के उप–खण्ड (एक) में, शब्द एवं अंक "धारा 188 के उपबंधों के अनुसार मौरूसी कृषक द्वारा अपने भूमिस्वामी को, या" का लोप किया जाये।

(तीन) उप–धारा (1) के खण्ड (प) के स्थान पर, निम्निलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(प) "राजस्व अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 11 में उल्लिखित राजस्व अधिकारी;"

(चार) उप–धारा (1) के खण्ड (म) का लोप किया जाये।

(पांच) उप–धारा (1) के खण्ड (य–5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(य–6) "विकास योजना" का वही अर्थ होगा, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) में परिभाषित है।"

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 11 का संशोधन.

"11. **राजस्व पदाधिकारी.**– राजस्व पदाधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्:–

(1) आयुक्त भू–अभिलेख;

(2) अपर आयुक्त भू–अभिलेख;

(3) आयुक्त;

(4) अपर आयुक्त;

(5) कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी;

(6) अपर कलेक्टर;

(7) उपखण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) एवं उप सर्वेक्षण अधिकारी;

(8) सहायक कलेक्टर;

(9) संयुक्त कलेक्टर;

(10) डिप्टी कलेक्टर;

(11) तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी;

(12) अपर तहसीलदार(अतिरिक्त तहसीलदार);

(13) अधीक्षक, भू–अभिलेख;

(14) नायब तहसीलदार; एवं

(15) सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख।"

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (3) का लोप किया जाये। धारा 13 का संशोधन.

धारा 22 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"22. **उपखण्ड अधिकारी**.– कलेक्टर, किसी एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भारसाधक बना सकेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जैसा कि इस संहिता द्वारा विहित किया जाये अथवा इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित किये गये हैं।"

धारा 33 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) में, अंक "41" के स्थान पर, अंक "258" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 40 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 40 में, शब्द "इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार" का लोप किया जाये।

धारा 41 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 41 का लोप किया जाये।

धारा 44 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"44. **अपील तथा अपील प्राधिकारी**,– (1) उस स्थिति को छोड़कर, जहां अन्यथा उपबंधित किया गया है, इस संहिता या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश की अपील–

(क) यदि ऐसा आदेश, उपखण्ड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो उपखण्ड अधिकारी को होगी;

(ख) यदि ऐसा आदेश, उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो उप सर्वेक्षण अधिकारी को होगी;

(ग) यदि ऐसा आदेश, उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो कलेक्टर को होगी;

(घ) यदि ऐसा आदेश, उप सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी को होगी;

(ड.) यदि ऐसा आदेश, किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, जिसके संबंध में धारा 12 की उप–धारा (3) या धारा 21 के अधीन निर्देश दिया गया हो, तो ऐसे राजस्व अधिकारी को होगी, जिसे राज्य सरकार निर्देश दे;

(च) यदि ऐसा आदेश, कलेक्टर के द्वारा पारित किया गया है, तो आयुक्त को होगी;

(छ) यदि ऐसा आदेश, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, तो आयुक्त, भू–अभिलेख को होगी;

(ज) यदि ऐसा आदेश, आयुक्त या आयुक्त, भू–अभिलेख के द्वारा पारित किया गया है, तो राजस्व मण्डल को होगी।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संहिता या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रथम अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील–

(क) यदि ऐसा आदेश, उपखण्ड अधिकारी या उप सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा पारित किया गया

है, तो आयुक्त को होगी;

(ख) यदि ऐसा आदेश, आयुक्त या आयुक्त, भू–अभिलेख के द्वारा पारित किया गया है, तो राजस्व मण्डल को होगी।"

(3) द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों पर होगी,–

(क) यदि मूल आदेश को, प्रथम अपील में खर्चे के मामले के अतिरिक्त अन्य मामले में, परिवर्तित किया गया हो, उलट दिया गया हो; या

(ख) यदि आदेश, विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल हो; या

(ग) यदि आदेश द्वारा, विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का अवधारण नहीं हो सका है; या

(घ) यदि संहिता द्वारा यथा विहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है, जिससे गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हो।

(4) पुनर्विलोकन में, फेरफार करते हुए या उसे उलटते हुए पारित किया गया कोई आदेश, उसी रीति में अपीलनीय होगा, जिस रीति में मूल आदेश अपीलनीय होता है।"

धारा 45 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 45 का लोप किया जाये।

धारा 50 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (1) में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" आया हो के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त अधिकारी " आया हो के

स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

12. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (एक) में,– **धारा 51 का संशोधन.**

(1) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" आया हो के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" आया हो के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

13. मूल अधिनियम की धारा 59 की उप–धारा (2) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 59 का संशोधन.**

"परन्तु राज्य शासन, नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक छूट उल्लिखित शर्तों के तहत दे सकेगी ।"

14. मूल अधिनियम के अध्याय 7 में,– **अध्याय 7 के शीर्षक एवं उप–शीर्षक 'क' का संशोधन.**

(1) शीर्षक "नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–सर्वेक्षण तथा भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–शीर्षक "क.–अध्याय का लागू होना तथा राजस्व सर्वेक्षण और/या बन्दोबस्त के संचालन हेतु अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "क–अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

15. मूल अधिनियम की धारा 61 का लोप किया जाये। **धारा 61 का संशोधन.**

16. मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– **धारा 62 का संशोधन.**

"62. **आयुक्त, भू–अभिलेख की नियुक्ति.**– राज्य सरकार, आयुक्त भू–अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गये निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, भू–सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेखों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करेगा।"

धारा 63 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 63 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द "अपर बंदोबस्त आयुक्त" आया हो के स्थान पर, शब्द "अपर आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" आया हो के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 64 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"64. **जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति.**– (1) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू–सर्वेक्षण के अध्यधीन है,–

(क) जिले का कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा;

(ख) जिले का अपर कलेक्टर, कलेक्टर के लिखित आदेश दिये जाने पर आवंटित क्षेत्र के लिये जिला सर्वेक्षण अधिकारी के रुप में कार्य कर सकेगा;

(ग) उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी, उस उपखण्ड के लिए, उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा;

(घ) तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्राधिकार के भीतर, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे।

(2) समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी, आयुक्त भू–अभिलेख के अधीनस्थ होंगे।

(3) जिले में समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

(4) उप–खण्ड में समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।"

धारा 65 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**65. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां.–** (1) ऐसी भूमियों के संबंध में, जो कि भू–सर्वेक्षण के अध्यधीन है, इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार की शक्तियां, क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होगीं।

(2) राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की समस्त एवं किन्हीं भी शक्तियों को उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित कर सकेगी।"

अध्याय 7 के उप–शीर्षक 'ख' का संशोधन.

20. मूल अधिनियम के अध्याय 7 में, उप–शीर्षक "ख.–राजस्व सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "ख–भू–सर्वेक्षण" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 66 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"66. **भू–सर्वेक्षण की परिभाषा.**– "भू–सर्वेक्षण" से अभिप्रेत है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई एक या एक से अधिक या समस्त क्रियाकलाप, अर्थात्:–

(1) भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों/भू–खण्ड संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों/भू–खण्ड संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना अथवा नवीन सर्वेक्षण संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक विरचित करना;

(2) भूमि का नक्शा तैयार करना या यथास्थिति, उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना;

(3) अधिकार अभिलेख तैयार करना;

(4) यथास्थिति, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक वाली क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड बुक) तैयार करना;

(5) कोई अन्य अभिलेख तैयार करना, जैसा कि विहित किया जाये।"

धारा 67 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 67 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"67. **प्रस्थापित भू–सर्वेक्षण की अधिसूचना.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, अपने प्रभार के संपूर्ण या किसी भी क्षेत्र में भू–सर्वेक्षण, राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करके, प्रारंभ कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमियां, उक्त अधिसूचना की तारीख से, तब तक भू–सर्वेक्षण के अध्यधीन समझी जायेगी, जब तक कि ऐसे भू–सर्वेक्षण को समाप्त किये जाने की घोषणा करने

वाली अधिसूचना, जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा जारी न कर दी जाये।

(3) निम्नांकित परिस्थितियों में जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू–सर्वेक्षण किया जायेगा :–

(क) राज्य शासन के निर्देश पर;

(ख) गत सर्वेक्षण को 30 वर्ष पूर्ण होने पर;

(ग) संदर्भ नक्शा जीर्ण–शीर्ण या अनुपलब्ध होने पर ;

(घ) ऐसे अन्य परिस्थितियां, जो जिला सर्वेक्षण अधिकारी उचित समझे।''

धारा 68 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 68 में,–

(1) शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 69 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 69 में, शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 70 का संशोधन.

25. मूल अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**70. सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित या उप–विभाजित या समामेलित करने की शक्ति.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित कर सकेगा एवं उन्हें उतने खण्डों में विभाजित कर सकेगा, जितने कि अपेक्षित हो, एवं एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों को एकल सर्वेक्षण संख्यांक में समामेलित कर सकेगा।

(2) किसी सर्वेक्षण संख्यांक का विभाजन या किसी सर्वेक्षण संख्यांकों का समामेलन, इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) जब कभी सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित किया जाये, तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी, इस संहिता के अधीन तैयार किये गये या संधारित किये गये समस्त अभिलेखों में प्रविष्टियों में सुधार करेगा।"

धारा 72 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 72 में, शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 73 का संशोधन.

27. मूल अधिनियम की धारा 73 में, जहां कहीं शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" आया हो के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 74 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की धारा 74 में, शब्द "राजस्व सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "भू–सर्वेक्षण" प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय 7 के उप–शीर्षक 'ग' का संशोधन.

29 मूल अधिनियम के अध्याय 7 में, उप–शीर्षक "ग.–किराये का निर्धारण" के स्थान पर, शब्द "ग–भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 76 का संशोधन.

30. मूल अधिनियम की धारा 76 का लोप किया जायें।

धारा 77 का संशोधन.

31. मूल अधिनियम की धारा 77 की उप–धारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"77. **निर्धारण दरों का नियत किया जाना.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी, राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक

या उनके खण्डों के लिए भू–राजस्व का निर्धारण करेगा।

(2) जहाँ कोई खाता, कई सर्वेक्षण संख्यांकों/भूखण्ड संख्यांकों से मिलकर बना हो, वहाँ जिला सर्वेक्षण अधिकारी, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक के लिए प्रयोज्य भू–राजस्व का पृथक–पृथक निर्धारण करेगा।''

32. मूल अधिनियम की धारा 79 का लोप किया जाये। **धारा 79 का संशोधन.**

33. मूल अधिनियम की धारा 80 में,– **धारा 80 का संशोधन.**

(1) शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

34. मूल अधिनियम की धारा 82 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 82 का संशोधन.**

''82. भू–राजस्व निर्धारण का प्रभावशील होना.– जब किसी भूमि के भू–राजस्व का निर्धारण, धारा 77 एवं 81 के अनुसार नियत कर दिया गया हो, तो ऐसा निर्धारण, आगामी राजस्व वर्ष से प्रभावशील होगा तथा इस प्रकार किया गया निर्धारण, जब तक उसे इस संहिता के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार, परिवर्तित न कर दिया गया हो, प्रभावशील रहेगा।''

35. मूल अधिनियम की धारा 83 का लोप किया जाये। **धारा 83 का संशोधन.**

36. मूल अधिनियम की धारा 84 में, शब्द ''बंदोबस्त'' के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थिापित किया जाये। **धारा 84 का संशोधन.**

धारा 85 का संशोधन.

37. मूल अधिनियम की धारा 85 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"85. **भू–राजस्व निर्धारण की अवधि.**– (1) जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई निर्धारण की अवधि, सामान्यतः 30 वर्ष की होगी।

(2) विशेष परिस्थितियों में, कारण उल्लिखित करते हुए, राज्य सरकार, संपूर्ण क्षेत्र या किसी क्षेत्र विशेष के लिए भू–राजस्व के निर्धारण में परिवर्तन के निर्देश, 30 वर्ष के पूर्व भी, जिला सर्वेक्षण अधिकारी को दे सकेगी, किन्तु ऐसा निर्देश भी, भू–राजस्व के निर्धारण के 15 वर्ष के पूर्व नहीं दिया जा सकेगा।

(3) किसी भूमि पर किये गये निर्धारण की अवधि समाप्त होने के उपरांत, उस भूमि के भू–राजस्व को पुनरीक्षित करने की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को होगी।

(4) इस बात के होते हुए भी कि किसी क्षेत्र विशेष में भू–राजस्व निर्धारण की अवधि का अवसान हो चुका है, उसके सम्बन्ध में, यदि नया निर्धारण नहीं किया गया हो, तो यह समझा जायेगा कि भू–राजस्व की दर, आगामी भू–राजस्व निर्धारण तक वही रहेगी।"

धारा 86 एवं 87 का संशोधन.

38. मूल अधिनियम की धारा 86 एवं 87 का लोप किया जाये।

धारा 88 का संशोधन.

39. मूल अधिनियम की धारा 88 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" आया हो के स्थान पर, शब्द "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द "राजस्व सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "भू–सर्वेक्षण"

प्रतिस्थापित किया जाये।

40. मूल अधिनियम की धारा 89 में,– **धारा 89 का संशोधन.**

(1) शब्द "राजस्व सर्वेक्षण" के स्थान पर, शब्द "भू–सर्वेक्षण" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) शब्द "बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये।

41. मूल अधिनियम की धारा 90 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :– **धारा 90 का संशोधन.**

"**90. भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत कलेक्टर की शक्तियां.**– भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत धारा 68, 72, 73, एवं 77 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां, जिला कलेक्टर को होगी।"

42. मूल अधिनियम की धारा 91 तथा धारा 91–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 91 एवं 91–क का संशोधन.**

"**91. भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत तहसीलदार की शक्तियां.**–भू–सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत धारा 69 एवं 70 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां, तहसीलदार को होगी।

91–क. नियम बनाने की शक्ति:– राज्य सरकार, इस संहिता के अधीन साधारणतः भू–सर्वेक्षण या भू–राजस्व निर्धारण के संचालन का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी।"

43. मूल अधिनियम की धारा 92 की उप–धारा (2) के स्पष्टीकरण के खण्ड (दो) में, शब्द "बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 92 का संशोधन.**

44. मूल अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (2) के परन्तुक में, शब्द "बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–राजस्व निर्धारण' प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 94 का संशोधन.**

धारा 101 का संशोधन.

45. मूल अधिनियम की धारा 101 में, जहां कही भी शब्द ''बंदोबस्त'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''भू–राजस्व निर्धारण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 107 का संशोधन.

46. मूल अधिनियम की धारा 107 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द ''खेत का नक्शा'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''भूमि का नक्शा'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (5) में, शब्द ''बंदोबस्त अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''जिला सर्वेक्षण अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(3) उप–धारा (5) में, शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 108 का संशोधन.

47. मूल अधिनियम की धारा 108 में,–

(1) उप–धारा (1) में, शब्द ''ग्राम'' के पश्चात्, शब्द ''एवं नगरीय क्षेत्र'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द ''मौरूसी कृषकों तथा'' का लोप किया जाये।

(3) उप–धारा (2) में, शब्द ''राजस्व सर्वेक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भू–सर्वेक्षण'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 110 का संशोधन.

48. मूल अधिनियम की धारा 110 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''110. **भू–अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण.**–(1) पटवारी, अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो ऑनलाइन माध्यम या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, उस ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में दर्ज करेगा, जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया है।

(2) यथास्थिति, पटवारी, अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट, जो कि उप–धारा (1) के

अधीन उसे प्राप्त हुई हो, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये, राज्य सरकार द्वारा विहित समयावधि में तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

(3) धारा 109 के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या ऑनलाइन माध्यम से या किसी अन्य स्त्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार विहित समयावधि के भीतर,–

(क) ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा;

(ख) हितबद्ध समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा;

(ग) आम सूचना या इश्तहार का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल, संबंधित ग्राम/नगर में निर्धारित स्थान एवं विभागीय वेबपोर्टल पर करेगा।

(4) किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या तहसीलदार को प्रकरण, किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर, वह ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई–राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में की जायेगी।

(5) तहसीलदार, हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के

पश्चात्, नामांतरण से संबंधित आदेश पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे एवं नक्शा सहित ऐसे अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। पटवारी, विहित समयावधि के भीतर अभिलेख में सुधार कर सत्यापित करेगा, तत्पश्चात् तहसीलदार प्रकरण नस्तीबद्ध करेगा।

(6) धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई भी मामला, किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जायेगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जायेगा।

(7) पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर, किसी भूमि पर नामांतरण के संबंध में इश्तहार का प्रकाशन एवं संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की तामीली उपरांत, कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने या पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर, प्रकरण में दस्तावेज के आधार पर, समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

(8) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां, विहित समयावधि के भीतर पूर्ण की जायेंगी । उस दशा में, जहां मामले, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं किये जाते है, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, कलेक्टर को देगा।"

धारा 114 का संशोधन.

49. मूल अधिनियम की धारा 114 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"114. **भू–अभिलेख.**– प्रत्येक ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित भू–अभिलेख तैयार किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 107 के अधीन ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा भूमि का नक्शा;

(ख) धारा 108 के अधीन अधिकार अभिलेख;

(ग) बी–1, खसरा/नजूल संधारण खसरा या क्षेत्र पुस्तक ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये;

(घ) धारा 114–क के अधीन किसान किताब;

(ड.) धारा 233 के अधीन समस्त दखल रहित भूमि के ब्यौरे;

(च) धारा 234 के अधीन निस्तार पत्रक;

(छ) धारा 242 के अधीन वाजिब–उल–अर्ज, यदि कोई हो;

(ज) सीमा एवं सीमा चिन्ह संबंधी पंजी;

(झ) व्यपवर्तित की गई भूमि के ब्यौरे;

(ञ) अतिक्रमण पंजी;

(ट) कोई अन्य अभिलेख, जैसा कि विहित किया जाये।"

50. मूल अधिनियम की धारा 115 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 115 का संशोधन.

"115. **भू–अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण.**– (1) उपखण्ड अधिकारी, स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसान–किताब तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर, धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में, अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए, गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात्, शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां, उसके द्वारा अभिप्रमाणित की जायेंगी :

परन्तु यह कि कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना, पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को, शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जायेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश,–

(क) संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किये;

(ख) सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये;

बिना पारित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि सरकार का हित निहित है, तो उपखण्ड अधिकारी, मामले को कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन मामले के प्राप्त होने पर, कलेक्टर, ऐसी जांच करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।"

धारा 116 का संशोधन.

51. मूल अधिनियम की धारा 116 का लोप किया जाये।

धारा 124 का संशोधन.

52. मूल अधिनियम की धारा 124 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**124. सीमा चिन्हों का संन्निर्माण.**– (1) समस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों की सीमाएं नियत की जायेंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, आदेश दे सकेगी कि समस्त सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संख्यांकों की भी सीमायें नियत की जाये तथा सीमा चिन्हों द्वारा

उनका सीमांकन किया जाये।"

53. मूल अधिनियम की धारा 125 में, जहां कहीं भी शब्द "ग्रामों," आया हो के पश्चात्, शब्द "नगरीय क्षेत्रों," अंतःस्थापित किया जाये। — धारा 125 का संशोधन.

54. मूल अधिनियम की धारा 134 में, शब्द "पांच सौ रूपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रूपए" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 134 का संशोधन.

55. मूल अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– — धारा 135 का संशोधन.

"(3) ऐसी भूमि के संबंध में देय प्रतिकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के अनुसार होगा।"

56. मूल अधिनियम की धारा 161 में, शब्द "बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 161 का संशोधन.

57. मूल अधिनियम की धारा 165 में,– — धारा 165 का संशोधन.

(1) उप–धारा (1) में, शब्द एवं अंक "धारा 168" के पूर्व, शब्द एवं अंक "धारा 158 और" अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (4–क) का लोप किया जाये।

58. मूल अधिनियम की धारा 168 की उप–धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– — धारा 168 का संशोधन.

"(6) धारा 168 के उल्लंघन का दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध, उपखण्ड अधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर रूपये पच्चीस हजार से अंनधिक ऐसी राशि का, जैसा कि वह ठीक समझे, अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगा।"

धारा 170–ख. का संशोधन.

59. मूल अधिनियम की धारा 170–ख की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) में, शब्द एवं अंक "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 172 का संशोधन.

60. मूल अधिनियम की धारा 172 की उप–धारा (4) में, शब्द "एक हजार रूपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 178–ख. का अन्तःस्थापन.

61. मूल अधिनियम की धारा 178–क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**178–ख. खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण.**–

(1) तहसीलदार, खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों को सर्वप्रथम ई–नामांतरण पोर्टल में प्रविष्ट कर, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा एवं आम सूचना या ईश्तहार का प्रकाशन करेगा।

(2) किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या तहसीलदार को प्रकरण, किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर, वह ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई–राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार विहित समयावधि के भीतर,–

(क) ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल में कार्यवाही प्रारंभ करेगा;

(ख) हितबद्ध समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा;

(ग) आम सूचना या ईश्तहार का प्रकाशन, कार्यालयीन सूचना पटल, संबंधित ग्राम/नगर में निर्धारित स्थान एवं विभागीय वेबपोर्टल पर करेगा।

(4) तहसीलदार, हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, प्रकरण में उस भाग के संबंध में आदेश पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे एवं नक्शा सहित अन्य सुसंगत अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। पटवारी, विहित समयावधि के भीतर आवश्यकतानुसार अभिलेख में सुधार कर सत्यापित करेगा, तत्पश्चात् तहसीलदार, प्रकरण नस्तीबद्ध करेगा।

(5) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां,, विहित समयावधि के भीतर पूर्ण की जायेगी ।। उस दशा में, जहां मामले, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं किये जाते है, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, कलेक्टर को देगा।"

62. मूल अधिनियम की धारा 184 का लोप किया जाये। धारा 184 का संशोधन.

"अध्याय 14 : मौरूसी कृषक" का संशोधन.

63. मूल अधिनियम में, "अध्याय 14 : मौरूसी कृषक" एवं उससे संबंधित धारायें 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 एवं 202 का लोप किया जाये।

धारा 203 का संशोधन.

64. मूल अधिनियम की धारा 203 में, शब्द "बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 210 का संशोधन.

65. मूल अधिनियम की धारा 210 में, शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, भू–अभिलेख" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 222 का संशोधन.

66. मूल अधिनियम की धारा 222 की उप–धारा (3) का लोप किया जाये।

धारा 229 का संशोधन.

67. मूल अधिनियम की धारा 229 में, शब्द "ग्राम पंचायत को या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, वहां धारा 232 के उपबंधों के अनुसार गठित की गई किसी ग्राम सभा" के स्थान पर, शब्द "अन्य" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 232 का संशोधन.

68. मूल अधिनियम की धारा 232 का लोप किया जाये।

धारा 233 का संशोधन.

69. मूल अधिनियम की धारा 233 में,–

(1) शब्द "ग्राम" के पश्चात्, शब्द "और नगरीय क्षेत्र" अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) खड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ख) अधिसूचित विकास योजना, यदि कोई हो, में निर्धारित प्रयोजनों से असंगत प्रविष्टि नहीं की जायेगी।"

धारा 234 का संशोधन.

70. मूल अधिनियम की धारा 234 की उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(4) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में यथा प्रावधानित ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प पर, कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से तथा आवश्यक जांच पश्चात् उप–खण्ड अधिकारी, निस्तार पत्रक में संशोधन कर सकेगा।"

धारा 241 का संशोधन.

71. मूल अधिनियम की धारा 241 में,–

(1) उप–धारा (4) में, जहां कहीं भी शब्द "कलेक्टर" आया हो के स्थान पर, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (5) में, शब्द "या घरेलू प्रयोजनों के लिए" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "एक कैलेण्डर वर्ष में 02 घनमीटर की अधिकतम सीमा तक" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 243 का संशोधन.

72. मूल अधिनियम की धारा 243 में, शब्द एवं अंक "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1)" के स्थान पर, "शब्द एवं अंक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 246 का संशोधन.

73. मूल अधिनियम की धारा 246 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**246. आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार.–** प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व आबादी भूमि अंतर्गत कोई भूमि, विधि पूर्वक धारण करता है या इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधि पूर्वक अर्जित कर लेता है, ऐसी भूमि के संबंध में

भूमिस्वामी होगा। कब्जेदार ऐसी भूमि के संबंध में भूमि स्वामी होगा, जो कि राज्य शासन द्वारा ऐसे किसी आबादी या किसी अन्य दखल रहित भूमि में गृहस्थल के रूप में धारित भूमि के कब्जेदार को, किसी विधि/नियम के अधीन दिये गये भूमिस्वामित्व प्रमाणपत्र में वर्णित है।"

धारा 250 का संशोधन.

74. मूल अधिनियम की धारा 250 में,–

(1) उप–धारा (1) में, शब्द "मौरूसी कृषक और" का लोप किया जाये।

(2) उप–धारा (1–क) के खण्ड (क) एवं (ख) का लोप किया जाये।

(3) उप–धारा (3) में, शब्द "मौरूसी कृषक या" का लोप किया जाये।

धारा 252, 254 एवं 255 का संशोधन.

75. मूल अधिनियम की धारा 252, 254 एवं 255 का लोप किया जाये।

धारा 257 का संशोधन.

76. मूल अधिनियम की धारा 257 में,–

(1) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ख) भू–सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव या भू–राजस्व निर्धारण की अवधि के बारे में कोई प्रश्न;"

(2) खण्ड (ग) में, शब्द "बंदोबस्त अधिकारी" के स्थान पर, "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये।

(3) खण्ड (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प) एवं (य–1) का लोप किया जाये।

77. मूल अधिनियम की धारा 258 की उप–धारा (2) में,– **धारा 258 का संशोधन.**

(1) खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(एक–क) धारा 13 के अधीन प्रस्थापना हेतु प्ररूप विहित करना;"

(2) खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(चार–क) धारा 63 की उप–धारा (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एवं कर्तव्य विहित करना;"

(3) खण्ड (छः) में, शब्द "उपखण्डों में विभाजन" के पूर्व, शब्द "समामेलन एवं" अन्तःस्थापित किया जाये।

(4) खण्ड (ग्यारह) का लोप किया जाये।

(5) खण्ड (बारह) में, शब्द "राजस्व सर्वेक्षण या बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू–सर्वेक्षण या भू–राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये।

(6) खण्ड (चौबीस) के उप–खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ग) धारा 109 एवं 110 के प्रयोजन हेतु अधिकार के अर्जन की रिपोर्ट, प्रज्ञापना, नामांतरण पूर्व का स्केच, अभिस्वीकृति, नोटिस, प्रतिलिपि, शुल्क, लंबित मामलों की जानकारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की रीति एवं प्ररूप विनियमित करना;"

(7) खण्ड (अठ्ठाईस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(अठ्ठाईस–क) धारा 126 के अधीन संक्षेपतः बेदखली की रीति;"

(8) खण्ड (छत्तीस) में, शब्द "बंदोबस्त" के स्थान पर, शब्द "भू– राजस्व निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाये।

(9) खण्ड (छत्तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये. अर्थातः–

"(सैंतीस) ई–नामांतरण पोर्टल एवं ई–राजस्व न्यायालय पोर्टल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;"

(10) खण्ड (चौवालिस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(चौवालिस–क) धारा 178–क के अधीन भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि के विभाजन का विनियमन;"

(11) खण्ड (पैंतालीस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात :–

"(छियालीस) (क) साधारणतः या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन तथा साक्षियों के लिए व्ययों की मंजूरी;

(ग) मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं का, इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में

उनके द्वारा की जाने–वाली उपसंजातियों, किये जाने वाले आवेदनों तथा किये जाने वाले कार्यों के बारे में विनियमन;

(घ) वह प्रकिया, जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर संपत्तियों की कुर्की करने में किया जायेगा;

(ड.) विक्रयों को प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए प्रकिया तथा ऐसी कार्यवाहियों से संसक्त समस्त आनुषंगिक विषय;

(च) पशुधन तथा अन्य जंगम संपत्ति का, जब कि वह कुर्की के अधीन हो, अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा, ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिए देय शुल्क, ऐसे पशुधन तथा संपत्ति का विक्रय, और ऐसे विक्रय के आगम;

(छ) अपीलों तथा अन्य कार्यवाहियों का समेकन;

(ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्टियां तथा लेखे; जो राजस्व न्यायालयों के कामकाज के संपादन के लिए आवश्यक या वांछनीय हों;

(झ) वह समय, जिसके भीतर, किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे;

(ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों तथा उनके आनुषंगिक खर्चे;

(ट) कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा और ऐसी परीक्षा के आनुषंगिक व्ययों का भुगतान;

(ठ) अर्जी–लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियम।"

(12) खण्ड (सैंतालीस), (अड़तालीस), (अड़तालीस–क), (उनचास), (पचास), (इक्यावन) एवं (छप्पन) का लोप किया जाये।

(13) खण्ड (पैंसठ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(पैसठ–क) धारा 250 के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु विनियमन;"

(14) खण्ड (सड़सठ) एवं (अड़सठ) का लोप किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 4 मई 2022

क्रमांक 4607/डी. 51/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4–5–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 6 of 2022)

THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2022

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2022. Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), (hereinafter referred to as the Principal Act), - Amendment of Section 2.

(i) in sub-clause (iii) of clause (b) of the sub-section (1), before the word "orchards", the words and symbol "commercial plantations," shall be inserted.

(ii) in sub-clause (i) of clause (t) of sub-section (1), the words and figure "by an occupancy tenant to his Bhumiswami in according to the

provisions of Section 188 or" shall be omitted.

(iii) for clause (u) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(u)"**Revenue Officer**" means the Revenue Officer mentioned in Section 11;"

(iv) clause (y) of sub-section (1) shall be omitted.

(v) after clause (z-5) of sub-section (1), the following shall be inserted, namely:-

"(z-6) Development Plan shall have the same meaning as defined in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973)."

Amendment of Section 11.

3. For Section 11 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"**11. Revenue Officers.-** There shall be the following classes of Revenue Officers, namely:-

(1) Commissioner, Land Records;

(2) Additional Commissioner, Land Records;

(3) Commissioner;

(4) Additional Commissioner;

(5) Collector and District Survey Officer;

(6) Additional Collector;

(7) Sub-Divisional Officer (Sub Divisional Officer (Revenue)) and Deputy Survey Officer;

(8) Assistant Collector;

(9) Joint Collector;

(10) Deputy Collector;

(11) Tahsildar and Assistant Survey Officer;

(12) Additional Tahsildar (Additional Tahsildar);

(13)Superintendent of Land Record;

(14)Naib Tahsildar; and

(15)Assistant Superintendent of Land Records."

4. Sub-section (3) of Section 13 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 13.**

5. For Section 22 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 22.**

"**22. Sub-Divisional Officer.**- The Collector may make any one or more Assistant Collectors or Joint Collectors or Deputy Collectors in charge of one or more Sub-Divisions of the district who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by this Code or conferred or imposed on a Sub-Divisional Officer under the Code or any other enactment for the time being in force."

Amendment of Section 33.

6. In sub-section (1) of Section 33 of the Principal Act, for the figure "41", the figure "258" shall be substituted.

Amendment of Section 40.

7. In Section 40 of the Principal Act, the words "in accordance with the provisions of this Chapter" shall be omitted.

Amendment of Section 41.

8. Section 41 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 44.

9. For Section 44 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**44. Appeal and Appellate Authority.**-(1) Save as otherwise provided, an appeal shall lie from every original order passed under this Code or rules made thereunder—

(a) if such order is passed by a Revenue Officer sub-ordinate to the Sub-Divisional Officer, to the Sub-Divisional Officer;

(b) if such order is passed by a Revenue Officer sub-ordinate to the Deputy Survey Officer, to the Deputy Survey Officer;

(c) if such order is passed by the Sub-Divisional Officer to the Collector;

(d) if such order is passed by the Deputy Survey Officer to the District Survey Officer;

(e) if such order is passed by any Revenue Officer in respect of whom a direction has been made under sub-section (3) of Section 12 or Section 21 to such Revenue Officer as the State Government may direct;

(f) if such order is passed by the Collector to the Commissioner;

(g) if such order is passed by the District Survey Officer to the Commissioner, Land Records;

(h) if such order is passed by the Commissioner or the Commissioner, Land Records to the Board of Revenue.

(2) Save as otherwise provided, under this Code or the rules made thereunder, second appeal against every order passed in first appeal shall lie-

(a) if such order has been passed by the Sub-Divisional Officer or the Deputy Survey Officer or the Collector or the District Survey Officer, to the Commissioner;

(b) if such order has been passed by the Commissioner or the Commissioner, Land Records, to the Board of Revenue.

(3) A second appeal shall lie on the following grounds, namely:-

(a) if the original order has in the first appeal been varied or reversed, otherwise than in a matter of cost; or

(b) if the order is contrary to law or usage having the force of law; or

(c) if the order has failed to determine some material issue of law or usage having force of law; or

(d) if there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Code, which may have produced error or defect in the decision of the case upon merits.

(4) An order passed in review varying or reversing shall be appealable in like manner as the original order."

10. Section 45 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 45.**

11. In sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act,- **Amendment of Section 50.**

(1) for the words "Settlement Commissioner", wherever they occur, the words "Commissioner, Land Record" shall be substituted.

(2) for the words "Settlement Officer" wherever they occur, the words

"District Survey Officer" shall be substituted.

Amendment of Section 51.

12. In clause (i) of proviso of sub-section (1) of Section 51 of the Principal Act,-

(1) for the words "Settlement Commissioner", wherever they occur, the words "Commissioner, Land Record" shall be substituted.

(2) for the words "Settlement Officer" wherever they occur, the words "District Survey Officer" shall be substituted.

Amendment of Section 59.

13. For the first proviso of sub-section (2) of Section 59 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"Provided that, the State Government, may give exemption, on mentioned conditions, upto the limits specified by Notification, to new micro and small industries."

Amendment of Heading and Sub-heading 'A'of Chapter VII.

14. In Chapter VII of the Principal Act,-

(1) for the Heading "Revenue Survey and Settlement in Non-Urban Areas", the words "Land Survey and Land Revenue Assessment" shall be substituted.

(2) for the sub-heading, "A.- Application of Chapter and Officers to conduct Revenue Survey and/or Settlement", the words "A-Officer" shall be substituted.

15. Section 61 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 61.**

16. For Section 62 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 62.**

"**62. Appointment of Commissioner of Land Records.-** The State Government may, appoint a Commissioner of Land Records, who shall, subject to the directions issued by the State Government in this regard, manage and control the land survey and land records."

17. In Section 63 of the Principal Act,- **Amendment of Section 63.**

(1) for the words "Additional Settlement Commissioner", wherever they occur, the words "Additional Commissioner, Land Records" shall be substituted.

(2) for the words "Settlement Commissioner", wherever they occur, the words "and "Commissioner, Land Records." shall be substituted.

Amendment of Section 64.

18. For Section 64 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**64. Appointment of District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer.**- (1) In respect of lands which are subject to land survey:-

(a) the Collector of the district shall be the District Survey Officer;

(b) the Additional Collector of the district, on written order of the Collector, may act as District Survey Officer for the allocated area;

(c) the Sub-Divisional Officer of the sub-division shall be Deputy Survey Officer;

(d) Tahsildar, Additional Tahsildar or Naib Tahsildar shall be Assistant Survey Officer within their respective jurisdiction.

(2) All District Survey Officers shall be sub-ordinate to the Commissioner of Land Records.

(3) All the Deputy Survey Officers and Assistant Survey Officers in the district shall be sub-ordinate to the District Survey Officer.

(4) All the Assistant Survey Officers in the sub-division shall be sub-ordinate to the Deputy Survey Officer."

19. For Section 65 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 65.**

"**65. Powers of District Survey Officer, Deputy Survey Officer and Assistant Survey Officer.-** (1) The Power of the Collector, Sub-divisional Officer or Tahsildar under this code in respect of the land subjected to land survey shall vest in District Survey Officer, Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer respectively.

(2) The State Government may vest, in the Deputy Survey Officer or Assistant Survey Officer, all or any of the powers of the District survey Officer under this Code."

Amendment of Sub-heading 'B' of Chapter VII.

20. In Chapter VII of the Principal Act, for the sub-heading, "B.- Revenue Survey", the words "B-Land Survey" shall be substituted.

Amendment of Section 66.

21. For Section 66 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**66. Definition of Land Survey.-** "Land survey" means any or more or all of the following activities, namely:-

(1) The division of land into survey numbers/plot numbers, validation and re-organization of the existing survey numbers/plot numbers, or creation of new survey numbers/ plot numbers;

(2)Preparation of a map of the land or to revise or improve it, as the case may be;

(3) Preparation of record of rights;

(4)Preparation of field book containing each survey number/ plot number, as the case may be;

(5)Preparation of any other record, as may be prescribed."

Amendment of Section 67.

22. For Section 67 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**67. Notification of proposed land survey.-** (1) The District Survey Officer may commence land survey in the whole or any area of his charge by publishing a notification to that effect in the Official Gazette.

(2) The lands notified under sub-section (1) shall, from the date of the said notification, be deemed to be subject to land survey until a notification declaring the termination of such land survey is issued by the District Survey Officer.

(3)There shall be a land survey by the District Survey Officer in the following circumstances:-

(a) on the direction of the State Government;

(b) on the completion of 30 years of the previous survey;

(c) if the reference map is dilapidated or unavailable;

(d) such other circumstances as the District Survey Officer may deem fit."

Amendment of Section 68.

23. In Section 68 of the Principal Act,-

(1) for the words "Settlement Officer", the words "District Survey Officer" shall be substituted.

(2) for the words "revenue survey", the words "land survey" shall be substituted.

Amendment of Section 69.

24. In Section 69 of the Principal Act, for the words "Settlement Officer", the words "District Survey Officer" shall be substituted.

Amendment of Section 70.

25. For Section 70 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**70. Power to re-number or sub-divide or amalgamate survey numbers.**- (1) The District Survey Officer may, with a view to acquisition of rights in the land or for any other reason, renumber the survey numbers and divide them into as many parts, as may be required, and amalgamate more than one survey number into a single survey number.

(2) Division of any survey number or amalgamation of survey numbers shall be done in

accordance with the rules made under this Code.

(3) Whenever the survey numbers are renumbered, the District Survey Officer shall rectify the entries in all the records prepared or maintained under this Code."

26. In Section 72 of the Principal Act, for the words "Settlement Officer", the words "District Survey Officer" shall be substituted. **Amendment of Section 72.**

27. In Section 73 of the Principal Act, for the words "Settlement Officer" wherever they occur, the words "District Survey Officer" shall be substituted. **Amendment of Section 73.**

28. In Section 74 of the Principal Act, for the words "revenue survey", the words "land survey" shall be substituted. **Amendment of Section 74.**

29. In Chapter VII of the Principal Act, for the sub-heading, "C.- Settlement of rent", the words "C-Land Revenue Assessment" shall be substituted. **Amendment of Sub-heading 'C'of Chapter VII.**

30. Section 76 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 76.**

Amendment of Section 77.

31. For sub-section (1) and (2) of Section 77 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**77. Fixation of assessment rates.-** (1) The District Survey Officer shall assess the land revenue for each survey number/ plot number or their parts as per the rate fixed by the State Government.

(2) Where a holding is made up of many survey numbers/plot numbers, District Survey Officer shall fix applicable land revenue separately for each survey number/plot number."

Amendment of Section 79.

32. Section 79 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 80.

33. In Section 80 of the Principal Act,-

(1) for the words "Settlement Officer", the words "District Survey Officer" shall be substituted.

(2) for the words "Settlement", the words "land revenue assessment" shall be substituted.

Amendment of Section 82.

34. For Section 82 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**82. Land revenue assessment to be effective.-** When the assessment of land revenue of any land is done in accordance with Section 77 and 81, such assessment shall take effect from the next revenue year, and the assessment so made, until it is changed in accordance with this Code or any other law, shall remain effective."

35. Section 83 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 83.**

36. In Section 84 of the Principal Act, for the word "settlement", the words "land revenue assessment" shall be substituted. **Amendment of Section 84.**

37. For Section 85 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 85.**

"**85.Term of assessment of land revenue.-** (1) The term of assessment made by the District Survey Officer shall, ordinarily, be of 30 years.

(2) In special circumstances, specifying the reason, the State Government, may give directions to the District Survey Officer to change the assessment of land revenue for the whole area or for a

particular area even before 30 years, but such instructions can not be given before 15 years of assessment of land revenue.

(3) After the expiry of the term of assessment made on any land, the sub-divisional officer shall have the jurisdiction to revise the land revenue of that land.

(4) Notwithstanding that the term of assessment of land revenue in a particular area has expired, if a new assessment has not been made in respect of that, it shall be deemed that the rate of land revenue shall remain the same till the upcoming land revenue assessment."

Amendment of Section 86 and 87.

38. Section 86 and 87 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 88.

39. In Section 88 of the Principal Act,-

(1) for the words "Settlement Officer" wherever they occur, the word "District Survey Officer" shall be substituted.

(2) for the words "revenue survey", the words "land survey" shall be substituted.

40. In Section 89 of the Principal Act,- **Amendment of Section 89.**

(1) for the words "revenue survey", the words "land survey" shall be substituted.

(2) for the word "settlement", the words "land revenue assessment" shall be substituted.

41. For Section 90 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 90.**

"**90. Powers of the Collector after the completion of the land survey.-** The powers of the District Survey Officer under Section 68, 72, 73, and 77 shall be with the Collector, after the completion of the land survey."

42. For Section 91 and 91-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 91 and 91-A.**

"**91. Powers of Tahsildar after the land survey is over.-** After the land survey is over, the powers of the District Survey Officer under Section 69 and 70 shall be with the Tahsildar.

91-A. Power to make rules.- The State Government may make rules to regulate generally the conduct of a

land survey or land revenue assessment under this Code."

Amendment of Section 92.

43. In clause (ii) of the Explanation to sub-section (2) of Section 92 of the Principal Act, for the word "settlement", the words "land revenue assessment" shall be substituted.

Amendment of Section 94.

44. In proviso of sub-section (2) of Section 94 of the Principal Act, for the word "settlement", the words "land revenue assessment" shall be substituted.

Amendment of Section 101.

45. In Section 101 of the Principal Act, for the word "settlement" wherever they occur, the words "land revenue assessment" shall be substituted.

Amendment of Section 107.

46. In Section 107 of the Principal Act,-

(1) for the words "field map", wherever they occur, the words "map of the land" shall be substituted.

(2) in sub-section (5), for the words "Settlement Officer", the words "District Survey Officer" shall be substituted.

(3) in sub-section (5), for the words "revenue survey", the words "land survey" shall be substituted.

47. In Section 108 of the Principal Act,- **Amendment of Section 108.**

(1) in sub-section (1), after the word "village", the words "and urban area" shall be inserted.

(2) in clause (b) of sub-section (1), the words "occupancy tenants and" shall be omitted.

(3) in sub-section (2), for the words "revenue survey", the words "land survey" shall be substituted.

48. For Section 110 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 110.**

"**110. Mutation of acquisition of right in land records.-** (1) The Patwari shall record every acquisition of right which has been reported to him under Section 109 or which comes to his notice on information received through online medium or any other source, in the online e-Namantaran portal prescribed for the purpose.

(2) All such reports relating to the acquisition of right, as the case may be, received by the Patwari under sub-section (1), shall be sent to the Tahsildar within

prescribed time period by the State Government in such manner and in such form as may be prescribed.

(3) On receipt of intimation under Section 109 or on receipt of intimation of acquisition of such rights through online medium or from any other source, the Tahsildar within prescribed time period, shall,-

(a) initiate the process of mutation in the online e-Namantaran portal,

(b)issue notice to all the interested parties,

(c) publish the public notice or advertisement on the official notice board, at the designated place in the concerned village/city and on the departmental web portal.

(4) On receipt of objection in any case or if the Tahsildar finds the matter to be disputed for any reason, he shall register the case by transferring it to his e-revenue court from the online e-

Namantaran portal, otherwise all the proceedings in the case will be done through the online e-Namantaran portal.

(5) The Tahsildar shall, after giving the interested persons a reasonable opportunity of being heard and after making such further inquiry as he may deem necessary, pass orders relating to the mutation and shall make necessary entries in such other relevant land records including the khasra and map of the village, as the case may be. The patwari shall verify the records by correcting them within prescribed time period, after which the Tahsildar shall file the case.

(6) Notwithstanding anything contained in Section 35, no case under this Section shall be dismissed in the absence of any party and shall be disposed of in order of merit.

(7) On the basis of registered document, after publication of advertisement and service of information to the concerned

interested parties regarding the mutation on any land, appropriate orders will be passed on the basis of the document in case of any objection are not received or absence of the parties.

(8) All proceedings under this Section, shall be completed within prescribed time period. In the case, where the cases are not disposed off within the specified period, the Tahsildar shall report the information of pending cases to the Collector in such form and manner as may be prescribed."

Amendment of Section 114.

49. For Section 114 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**114. Land Records.-** The following land records shall be prepared for each village and urban areas, namely:-

(a) the map of the village/ urban area, the map of the Abadi and the map of the land under Section 107,

(b) record of rights under Section 108,

(c) B-1 khasra/nazul maintenance khasra or field book in such form as may be prescribed,

(d) Kisan Kitab under Section 114-A,

(e) the details of all unoccupied land under Section 233,

(f) Nistar Patrak under Section 234,

(g) Wajib-ul-Arz, if any, under Section 242,

(h) register related to boundary and boundary marks,

(i) the details of the diverted land,

(j) the Encroachment Register,

(k) any other record as may be prescribed."

50. For Section 115 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 115.**

"**115. Correction of wrong or incorrect entry in land record.-** (1) Sub-divisional Officer may, on his own motion or on application of an aggrieved person, after making such enquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry including an un-authorised

entry in the land records prepared under Section 114 other than Kisan Kitab and record of rights, and such corrections shall be authenticated by him:

Provided that no action shall be initiated for correction of any entry pertaining to a period prior to five years without the sanction in writing of the Collector.

(2) No order shall be passed under sub-section (1) without,-

(a) getting a written report from the Tahsildar concerned ; and

(b) giving an opportunity of hearing to all parties interested:

Provided that where interest of Government is involved, the Sub-Divisional Officer shall submit the case to the Collector.

(3) On receipt of a case under sub-section (2), the Collector shall make such enquiry and pass such order as the deems fit."

Amendment of Section 116.

51. Section 116 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 124.

52. For Section 124 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**124. Construction of boundary marks.**-(1) The boundaries of all villages and urban areas shall be fixed and demarcated by permanent boundary marks.

(2) The State Government may, by notification, order that the boundaries of all survey numbers or plot numbers should also be fixed and demarcated by boundary marks."

53. In Section 125 of the Principal Act, after the words "villages,", wherever they occur, the words "urban areas," shall be inserted. **Amendment of Section 125.**

54. In Section 134 of the Principal Act, for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted. **Amendment of Section 134.**

55. For sub-section (3) of Section 135 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 135.**

"(3) The compensation payable in respect of such land shall be in accordance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No.30 of 2013)."

Amendment of Section 161.

56. In Section 161 of the Principal Act, for the words "settlement", wherever they occur, the words "land revenue assessment" shall be substituted.

Amendment of Section 165.

57. In Section 165 of the Principal Act,-

(1) In sub-section (1), before the word and figure "Section 168", the words and figures "Section 158 and" shall be inserted.

(2) Sub-section (4-A) shall be omitted.

Amendment of Section 168.

58. After sub-section (5) of Section 168 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"(6) Against persons found guilty of contravention of Section 168, the Sub-Divisional Officer, as he thinks fit, may impose a fine not exceeding Twenty Five Thousand rupees per person."

Amendment of Section 170-B.

59. In clause (b) of sub-section (3) of Section 170-B of the Principal Act, for the words and figures "Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894)", the words and figures "Right to Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted.

60. In sub-section (4) of Section 172 of the Principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted. **Amendment of Section 172.**

61. After Section 178-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:- **Insertion of New Section 178-B.**

"**178-B. Disposal of applications received for partition of holding.-** (1) The Tahsildar shall issue notice to the interested parties and publish public notice or advertisement by first entering the applications received for partition in the e-Namantaran portal.

(2) On receipt of objection in any case or if the Tahsildar finds the matter to be disputed for any reason, he shall register the case by transferring it to his e-revenue court from the online e-Namantaran portal, otherwise all the proceedings in the case will be done through the online e-Namantaran portal.

(3) On receipt of an application under this Section by any means, the Tahsildar shall, within prescribed time period,-

(a) initiate the process of

mutation in the online e-Namantaran portal,

(b) issue notice to all the interested parties,

(c) publish the public notice or advertisement on the official notice board, at the designated place in the concerned village/city and on the departmental web portal.

(4) The Tahsildar shall, after giving the interested persons a reasonable opportunity of being heard and after making such further inquiry as he may deem necessary, pass orders relating to the partition and shall make necessary entries in such other relevant land records including the khasra and map of the village, as the case may be. The patwari shall verify the records by correcting them within prescribed time period, after which the Tahsildar shall file the case.

(5) All proceedings under this Section, shall be completed

within prescribed time period. In the case, where the cases are not disposed off within the specified period, the Tahsildar shall report the information of pending cases to the Collector in such form and manner as may be prescribed."

62. Section 184 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 184.**

63. In the Principal Act, "Chapter XIV : Occupancy Tenants" and Sections relating thereto 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 and 202 shall be omitted. **Amendment of "Chapter XIV : Occupancy Tenants".**

64. In Section 203 of the Principal Act, for the words "settlement", the words "land revenue assessment" shall be substituted. **Amendment of Section 203.**

65. In Section 210 of the Principal Act, for the words "Settlement Commissioner", the words "Commissioner, Land Records" shall be substituted. **Amendment of Section 210.**

66. Sub-section (3) of Section 222 of the Principal Act, shall be omitted. **Amendment of Section 222.**

Amendment of Section 229.

67. In Section 229 of the Principal Act, for the words "a Gram Panchayat or where a Gram Panchayat has not been constituted, to a Gram Sabha constituted in accordance with the provisions of section 232", the word "other" shall be substituted.

Amendment of Section 232.

68. Section 232 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 233.

69. In Section 233 of the Principal Act,-

(1) after the word "village", the words "and urban area" shall be inserted.

(2) after clause (a), the following shall be added, namely:-

"(b) it shall not make any entry inconsistent with the purposes prescribed in the notified development plan, if any."

Amendment of Section 234.

70. For sub-section (4) of Section 234 of the Principal Act, the following shall the substituted, namely:-

"(4) On a resolution passed by the Gram Sabha, as provisioned in the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the Sub-divisional Officer with the prior sanction of the Collector and after making necessary enquiry may amend the Nistar Patrak."

71. In Section 241 of the Principal Act,- **Amendment of Section 241.**

(1) in sub-section (4), for the word "Collector", wherever they occur, the words "Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall be substituted.

(2) in sub-section (5), after the words "or domestic purposes", the words and figures "up to a maximum limit of 02 cubic meters in a calendar year" shall be inserted.

72. In Section 243 of the Principal Act, for the words and figures "the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)", the words and figures "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)" shall be substituted. **Amendment of Section 243.**

73. For Section 246 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 246.**

"**246. Right of persons holding house site in Abadi.-** Every person who, immediately before the coming into force of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), lawfully holds any land under Abadi or hereafter lawfully acquire such land shall be the Bhumiswami

in respect of such land. The occupier shall be the Bhumiswami in respect of land mentioned in land ownership certificate given under any law/rule by the State Government to the occupier of the land as a house site in abadi or in unoccupied land."

Amendment of Section 250.

74. In Section 250 of the Principal Act,-

(1) in sub-section (1), the words "occupancy tenant and" shall be omitted.

(2) clause (a) and (b) of sub-section (1-a) shall be omitted.

(3) in sub-section (3), the words "occupancy tenant or" shall be omitted.

Amendment of Section 252, 254 and 255.

75. Section 252, 254 and 255 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 257.

76. In Section 257 of the Principal Act,-

(1) for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) any question as to the validity or effect of a notification of land survey or to the term of land revenue assessment."

(2) in clause (c), for the words "Settlement Officer", the "District Survey Officer" shall be substituted.

(3) clause (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u) and (z-1) shall be omitted.

77. In sub-section (2) of Section 258 of the Principal Act,- **Amendment of Section 258.**

(1) after clause (i), the following shall be inserted, namely:-

"(i-a) prescribing the form for the proposal under Section 13;"

(2) after clause (iv), the following shall be inserted, namely,-

"(iv-a) prescribing the powers and duties to be exercised under sub-section (2) of Section 63;"

(3) in clause (vi), before the words "division of survey numbers", the words "amalgamation and" shall be inserted.

(4) clause (xi) shall be omitted.

(5) in clause (xii), for the words "revenue survey or settlement", the words "land survey or land revenue assessment" shall be substituted.

(6) after sub-clause (b) of clause (xxiv), the following shall be inserted, namely:-

"(c) regulation of procedure and form report of acquisition of rights, intimation, sketch prior to mutation, receipt, notice, copy, fees, information of pending cases and other related documents, for the purpose of Section 109 and 110; "

(7) after clause (xxviii), the following shall be inserted, namely:-

"(xxviii-a) the manner of summarily ejectment under Section 126;"

(8) in clause (xxxvi), for the words "settlement", the words "land revenue assessment" shall be substituted.

(9) after clause (xxxvi), the following shall be inserted, namely:-

"(xxxvii) Procedure to be followed in e-Namantaran Portal and e-Revenue Court Portal;"

(10) after clause (xliv), the following shall be inserted, namely:-

"(xliv-a) regulation of the partition of land during the lifetime of a Bhumiswami under Section 178-A;"

(11) after clause (xlv), the following shall be inserted, namely:-

"(xlv)(a) the service of summons, notices and other processes by post or in any other manner either generally or in any specified areas and proof of such service;

(b) the regulation of the power of revenue officers to summon parties and witnesses and the grant of expenses to witnesses;

(c) the regulation of recognized agents with regard to appearances, applications and acts done by them in proceedings under this Code;

(d) the procedure to be observed in effecting attachment of movable and immovable properties;

(e) the procedure for publishing, conducting, setting aside and confirming sales and all ancillary matters connected with such proceedings;

(f) the maintenance and custody, while under attachment, of livestock and other movable property, the fees payable for such maintenance and custody, the sale of such livestock and property and the proceeds of such sale;

(g) the consolidation of appeals and other proceedings;

(h) all forms, registers, books, entries and accounts which may be necessary or desirable for the transaction of the business of Revenue Courts;

(i) the time within which, in the absence of any express provision, appeals or applications for revision may be filed;

(j) the costs of, and incidental to, any proceedings;

(k) the examination of witnesses on commission and payment of expenses

incidental to such examination;

(l) the licensing of petition writers and the regulation of their conduct."

(12) clause (xlvii), (xlviii), (xlviii-A), (xlix), (l), (li) and (lvi) shall be omitted.

(13) after clause (lxv), the following shall be inserted, namely:-

"(lxv-a) regulation to give effect to the provisions of Section 250;"

(14) clause (lxvii) and (lxviii) shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.